कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

IN THE HONB'LE REVENUE BOARD AT GWALIOR

PBR/अपील/ग्वालियर/आ०अ०/2018/1117

Appeal No. /2018

Appellant : Gwalior Alcobrew Pvt. Ltd *(formerly Gwalior Distillers Limited.)*, Rairu Farm, Agra Mumbai Road Gwalior 474010, through its General Manager Mr. P.V. Muralidharan S/o Late Shri V.V.S. Nambishan R/o Rairu Farm, Gwalior

श्री Ashish Sharma Advocate
द्वारा आज दि० 8.2.18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 15.2.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर 8-2-18

Ashish 8.2.18

VERSUS

Respondent : Excise Commissioner, Motimahal, Gwalior

APPEAL U/S 62 (2) (C) OF MADHYA PRADESH EXCISE ACT, 1915 AGAINST ORDER DATED 24.07.2017 (ANNEXURE - A) PASSED BY LEARNED EXCISE COMMISSIONER WHEREBY THE PRESENT APPELLANT HAS BEEN DIRECTED TO PAY PENALTY OF RS. 46,250/- FOR NON KEEPING MINIMUM STOCK.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/ग्वालियर/आ.अ./2018/1117

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

26-12-2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3798 में पारित आदेश दिनांक 24-7-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)11-12/321 दिनांक 9-2-2012 द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को उसे प्रदाय क्षेत्र जिला जबलपुर के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जिला जबलपुर एवं सिहोरा के देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागारों पर अवधि माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक कुल 125 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3798 में दिनांक 24-7-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार जबलपुर एवं सिहोरा पर उपरोक्त अवधि में कुल 125 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से 31,250/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 46,250/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सुनवाई का

समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार ही प्रदाय दिया गया है । कांच की बोतलों में देशी मदिरा महंगी पड़ने के कारण फुटकर ठेकदार कांच की बोतलों में प्रदाय नहीं लेते और कभी भी प्रदाय संबंधी कोई शिकायत नहीं रही है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया गया कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित संग्रह नहीं रखने से शासन को कोई हानि नहीं हुई है और यदि शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है तो इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कारण बताओ सूचना पत्र का विधिवत जवाब प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्कों के समर्थन में 2012 आर.एन. 152 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में उसे प्रदाय क्षेत्र जिला जबलपुर के मद्यभाण्डागारों में कुल 125 दिवस, एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलो में निर्धारित संग्रह नहीं रखा गया है, अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार जबलपुर एवं सिहोरा पर माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में कुल 125 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की

बोतलों में रखना अनिवार्य है । भले ही अपीलार्थी द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, जिसका पालन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 15,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में उपरोक्त अवधि में कुल 125 दिवस कांच की बोतलों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह नहीं रखने से 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से 31,250/- रूपये अधिरोपित करते हुए कुल 46,250/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24-7-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष